पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद ने नगर प्रतिकर भत्ते की 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरों को 01 जुलाई, 2018 से दोगुना करने का निर्णय लिया

इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे

ऐसे स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिक भी लाभान्वित होंगे, जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है

इस निर्णय को लागू करने से 175 करोड़ रु0 का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा

लखनऊ : 17 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में नगर प्रतिकर भत्ते की 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरों को 01 जुलाई, 2018 से दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। वेतन समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर प्रतिकर भत्ते के सम्बन्ध में लिए गए इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ऐसे स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिक भी लाभान्वित होंगे, जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है।

ज्ञातव्य है कि वेतन समिति (2016) द्वारा सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियां दी गयी हैं। वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य किए जाने हेतु नगरों का वर्गीकरण पूर्व की भांति ही रखा गया है। परन्तु वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगर 1,00,000 या उससे अधिक की आबादी के हैं, उनमें भी नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होगा। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ते के सम्बन्ध में इन संस्तुतियों को लागू किए जाने से 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।

नगर प्रतिकर भत्ते के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के अनुसार अब नगर प्रतिकर भत्ते की वर्तमान व संशोधित दरें निम्नवत हो जाएंगी :—

वर्तमार दरें —

नगर प्रतिकर भत्ते की वर्तमान दरें (रुपया)				
ग्रेड वेतन (रुपया)	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर, जिनकी आबादी * एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1300 से 1800 तक	170	120	80	50
1900 से 2800 तक	240	180	120	80
4200 से 4800 तक	360	270	180	120
5400 तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्चतर वेतनमान	450	360	300	200

दिनांक 01 जुलाई, 2018 से संशोधित दरें —

नगर प्रतिकर भत्ते की संशोधित दरें (रुपया)				
लेवल	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर, जिनकी आबादी * एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेवल—1	340	240	160	100
लेवल—2 से लेवल—5 तक	480	360	240	160
लेवल—6 से लेवल—8 तक	720	540	360	240
लेवल—9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

——————————